न्यायालय सिविल जज कनिष्ठ श्रेणी शर्की, प्रयागराज

प्रकीर्ण वाद सं0–80 / 2019

भईयाराम बनाम मो0 फारूकआदि

<u>दिनॉकः 24.10.2024</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकारा गया। कोई उपस्थित नही है। पूर्व में उभय पक्षों को उपस्थिति हेतु कई बार पर्याप्त अवसर दिया जा चुका है परन्तु उभय पक्षों की ओर से पत्रावली पर बल देने हेतु कोई उपस्थित नही आ रहा है और न ही आज उभय पक्षों की ओर से कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि उभय पक्षकारों को वाद की कार्यवाही में कोई रूचि नही है एंव न ही पत्रावली में कोई अग्रिम कार्यवाही पर बल देना चाहते है।

अतः न्यायहित में उभय पक्षों की लगातार अनुपस्थिति के आधार पर एवं बल न देने के कारण पत्रावली उभय पक्षों की अनुपस्थित में खारिज किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रस्तुत वाद उभय पक्षकारों की अनुपस्थित तथा अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

सिविल जज(जू0डि0)शर्की,
प्रयागराज